उत्तराखण्ड सरकार
सूचना एवं लोक सर्म्पक विभाग
(प्रशासन प्रभाग)
संख्या–818 / सू0एवं लो0स0वि0(प्रशा.) 10 / 2002
देहरादून दिनांक 30 · 09 – ,2011

कार्यालय– आदेश

विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–159 / सू.एवं.लो.वि(प्रशा.)10 / 2002, दिनांक 02 फरवरी, 2011 के माध्यम से सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत सूचना अधिकारियों / जिला सूचना अधिकारियों की पारस्परिक अनन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रसारित / निर्गत करते हुए हित्तबद्ध अधिकारियों से इस सम्बन्ध में आपत्तियां , यदि कोई हों, आमंत्रित की गई थी।

2. उपरोक्तानुसार निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के कम में कतिपय अधिकारियों द्वारा आपत्तियां प्रेषित की गई है, जिसका सक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

1. **श्री योगेश मिश्रा, जिला सूचना अधिकारी** ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 19 फरवरी, 2011 में यह कथन किया है कि उनका नाम ज्येष्ठता सूची में योगेश कुमार मिश्रा अंकित किया गया हैं जबकि वास्तव में उनका नाम सेवा अभिलेखों में योगेश मिश्रा है। उनके द्वारा यह भी कथन किया गया है कि श्रीमती हन्सी बृजवासी दूसरे विभाग से सूचना विभाग में सविलियंन किया गया है ऐसी स्थिति में श्रीमती बृजवासी का नाम ज्येष्ठता सूची में प्रथम स्थान पर अंकित किया जाना उचित नही है।

श्री योगेश मिश्रा द्वारा की गई आपत्ति के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि श्रीमती हन्सी ब्रजवासी की ज्येष्ठता का निर्धारण मा. उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19.7.2004 में पारित निर्णय के अधीन किया गया है। इससे पूर्व भी श्री योगेश मिश्रा द्वारा किये गये कथन का निस्तारण विभागीय कार्यालय आदेश संख्या– 2208 / सू.एवं लो.सं.वि(प्रशा.)10 / 2002 दिनांक 20 दिसम्बर, 2005 के माध्यम से अंतिम रूप से किया जा चुका है। अतः श्री मिश्रा का प्रत्यावेतन बलहीन एवं तथ्यहीन होने कारण निरस्त किया जाता है।

2. **श्री दीपक जोशी, जिला सूचना अधिकारी** ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 11 फरवरी, 2011 में यह कथन किया है कि वर्ष 1980 में अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी व निरीक्षक /अनुवादक पदो के संवर्ग अलग–अलग थे,तथा अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी का वेतनमान रु.1400–2600 तथा सहायक सूचना अधिकारी तथा अन्य संवगों का वेतनमान रु.1350–2200 था। शासनादेश संख्या 1125 / उन्नीस–1–87 / 84 सूचना अनुभाग–1, दिनांक 04 दिसम्बर 1984 के द्वारा निरीक्षक / अनुवादक के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के पदनाम को सहायक सूचना अधिकारी करते हुए दिनांक 01.12.1984 को निरीक्षक / अनुवादक संवर्ग का संविलियन सहायक सूचना अधिकारी के पद पर किया गया बाद में सहायक सूचना अधिकारी के पद को अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी के पद पर संविलियन किया गया। अतः न्यून पद ही उच्च पद में संविलित होता है। अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी के पद पर संविलित अधिकारियों / कर्मचारियों को आवेदक से वरिष्ठ दिखाया जाना विधिमान्य नहीं है।

श्री दीपक जोशी द्वारा की गई आपत्ति के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पर्वतीय उपसंवर्ग में कार्यरत अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारियों की अंतिम ज्येष्ठता सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–4595 / सू.एवं ज.सं.वि(क्षेप्र)502 / 93 दिनांक 16.7.1998 द्वारा वर्ष 1998 में निर्धारित की गई है, ऐसी स्थिति में अब अंतिम ज्येष्ठता सूची में बिना कोई तथ्य के संशोधन नही किया जा सकता है। अतः श्री जोशी का प्रत्यावेदन बलहीन एवं तथ्यहीन होने कारण निरस्त किया जाता है।

3. **श्री धीरेश चन्द्र पाण्डेय, जिला सूचना अधिकारी** ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 22 फरवरी, 2011 में कथन किया है कि वर्ष 1991 में श्रीमती ब्रजवासी अपनी शर्तो पर सूचना अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर आयी थी, तथा आदेश संख्या–5541/सू.एवं.ज.सं.वि. (प्रशा.)–1474 ई, दिनांक 01 नवम्बर, 2000 के अनुसार दिनांक 30.06.2001 तक प्रतिनियुक्ति पर थी। राज्य स्थापना के पश्चात कार्यालय आदेश संख्या–812/सू.एवं.लो.स.वि.(प्रशा.) 2/2001 दिनांक 07 जून, 2001 के द्वारा श्रीमती ब्रजवासी का संवीलियन नियमों, प्राविधानों, शासनादेशों के नियम विरूद्ध किया गया है। इसी प्रकार से क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी का पद विभागीय पुनर्गठन के समय निसंवर्गीय/मृत घोषित कर दिया गया था। अतः निसंवर्गीय पदधारक को पदोन्नति देकर ज्येष्ठता सूची में अद्योहस्ताक्षरी से ऊपर दर्शाया जाना न्यायोचित एवं नियमानुकूल नहीं है। श्री भगवान प्रसाद घिल्डियाल एवं श्री हर्ष मोहन घिल्डियाल की सहायक सूचनाअधिकारी/ अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी के पद पर पदोन्नति एवं ज्येष्ठता निर्धारण के संबंध में भेजे गये प्रत्यावेदनों का निस्तारण नहीं किया गया है। उन्होने संशोधित ज्येष्ठता सूची जारी करने का अनुरोध किया है।

श्री धीरेश चन्द्र पाण्डेय द्वारा किये गये कथन के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि श्रीमती हन्सी ब्रजवासी की ज्येष्ठता का निर्धारण मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.7.2004 के कम में तथा श्री योगेश मिश्रा की ज्येष्ठता का निर्धारण उच्च वेतनमान के आधार पर किया गया है। इसी प्रकार से श्री पाण्डेय तथा श्री भगवान प्रसाद घिल्डियाल एवं श्री हर्ष मोहन घिल्डियाल पर्वतीय उपसंवर्ग में कार्यरत थे। पर्वतीय उपसंवर्ग में कार्यरत अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारियों की अंतिम ज्येष्ठता सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–4595/सू.एवं ज.सं.वि(क्षेप्र)502/93 दिनांक 16.7.1998 के माध्यम से वर्ष 1998 मे अंतिम रूप से निर्धारित की गई थी उसी के आधार पर श्री पाण्डेय का नाम ज्येष्ठता सूची में यथास्थान अंकित किया गया है। अतः श्री पाण्डेय का प्रत्यावेदन बलहीन एवं तथ्यहीन होने कारण निरस्त किया जाता है।

4. **श्री नितिन उपाध्याय, सूचना अधिकारी, श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव तथा श्री रवि विजारनियां, जिला सूचना अधिकारी** ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक कमशः 28.2.2011 तथा 26.2.2011 में कथन किया है कि वह लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित होकर दिनांक 30 जुलाई, 2005 से विभाग में नियुक्त है। उत्तरांचल सूचना एवं लोक सर्म्पक विभाग राजपत्रित सेवा नियमावली के भाग–क सामान्य, परिभाषाएं 3 (ञ) में "मौलिक नियुक्ति से तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो यदि नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो इस प्रकार ज्येष्ठता उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 के नियम 8 (1) के अनुसार मौलिक नियुक्ति के अनुसार निर्धारित की जाती है। विभागीय राजपत्रित सेवा नियमावली के 17 (4) में अस्थायी/स्थापना नियुक्तियों में भी लोक सेवा आयोग विनियम 1954 के 5 (क) के प्राविधान की व्यवस्था दी गयी है। विभागीय आदेश संख्याः 812/सू.एवं लो.स.वि.(प्रशा.)2/2001 दिनांक 07 जून, 2001 के द्वारा श्रीमती हंसी बृजवासी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविलियन किया गया है। विभागीय आदेश से स्पष्ट है कि दिनांक 28 मार्च, 2001 को सृजित पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविलित किया गया है। विभाग द्वारा पदोन्नत अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से विनियमितिकरण लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदो हेतु निर्धारित नियमों के अनुसार नही है। ज्येष्ठता सूची के बिन्दु–2 में मा. उच्च न्यायालय के जिस आदेश का उल्लेख है उस आदेश का प्रभाव पदोन्नत सूचना अधिकारियो/जिला सूचना अधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता पर पड़ता है। श्रीमती हन्सी ब्रजवासी सूचना अधिकारी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त नही है। 07 जून 2001 एवं 25 सितम्बर,2001 को की गयी पदोन्नति लोक सेवा आयोग के माध्यम से नहीं की गयी। 05 सितम्बर, 2001 को सीधी भर्ती के पदो पर

चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया था। परन्तु तदर्थ रूप से पदोन्नत अधिकारियों को दिनांक 25 सितम्बर, 2001 को विनियमित करने संबंधी आदेश जारी होने से पूर्व लोक सेवा आयोग की अनुमति नहीं ली गयी। इस प्रकार लोक सेवा आयोग की परिधि के पद पर लोक सेवा आयोग द्वारा पदोन्नति की संस्तुति प्रदान किये बिना मौलिक नियुक्ति सम्भव नहीं है। इस प्रकार सीधी भर्ती के अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य सभी सूचना अधिकारियों/जिला सूचना अधिकारियों की नियुक्ति/पदोन्नति /संविलियन/ विनियमितीकरण उनके पद पर नियमानुसार न होने के कारण वे मौलिक रूप से नियुक्त नही है, ऐसे में मौलिक रूप से नियुक्त सूचना अधिकारी /जिला सूचना अधिकारियों को तदर्थ रूप से नियुक्त अधिकारियों से कनिष्ठ प्रदर्शित करना न्याय संगत नही है तथा प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। श्री नितिन उपाध्याय, श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव तथा श्री रवि विजारनियां ने सूचना /जिला सूचना अधिकारी की ज्येष्ठता सूची में कमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर दर्शाते हुए अन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी करने का अनुरोध किया है।

3. उत्तराचंल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली–2002 के नियम 8(1) में प्राविधान है कि जहां सेवानियमावली के अनुसार नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जानी हो, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निम्नलिखित उपनियमों के उपबन्धों के अधीन अवधारित की जायेगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाये तो उस कम में अवधारित की जायेगी जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये है:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाय तो वो दिनांक मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक माना जायेगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा।

उल्लेखनीय है कि श्री नितिन उपाध्याय, सूचना अधिकारी, श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव तथा श्री रवि बिजारनिया,की नियुक्ति सूचना अधिकारी/ जिला सूचना अधिकारी के पदों पर दिनांक 30 जुलाई, 2005 में की गई है। जबकि क्रमांक–2 से 5 तक के अधिकारियों की पदोन्नति वर्ष 2001 में तदर्थ रूप से की गई थी तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–1465/सू.एवं लो.स. वि. (क्षे.प्र.) 75/2001 दिनांक 25.9.2001 के द्वारा तदर्थ रूप से पदोन्नत सूचना अधिकारियों/ जिला सूचना अधिकारियों को उनकी पदोन्नाति तिथि जून, 2001 से ही विनियमित किये जाने के आदेश पारित किये गये है। दिनांक 25 सितम्बर, 2001 में पदोन्नत/समायोजित सूचना अधिकारियों/जिला सूचना अधिकारियों की नियमित नियुक्ति की गई थी। इसी प्रकार से श्रीमती हन्सी ब्रजवासी सूचना विभाग में वर्ष 1991 से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत थी, जिन्हें विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–812/सू.एवं लो.सं.वि.(प्रशा)2/2001 दिनांक 7 जून, 2001 के माध्यम से सूचना अधिकारी के पद संविलियन किया गया। श्रीमती हन्सी ब्रजवासी की ज्येष्ठता का निर्धारण मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.7.2004 के कम में कमांक 1 पर किया गया है। चूंकि वर्ष 2001 में सूचना अधिकारियों/जिला सूचना अधिकारियों के पद पर की गई नियुक्ति नियमित नियुक्ति है। जबकि श्री नितिन उपाध्याय, श्री मनोज श्रीवास्तव तथा श्री रवि विजारनियां की नियुक्ति 30 जुलाई, 2005 को की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त तीनों अधिकारी वर्ष 2001 में नियुक्त अधिकारियों से ज्येष्ठ नहीं हो सकते है।

4. अतः उत्तराचंल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली–2002 के नियम 8(1) तथा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर श्री नितिन उपाध्याय, सूचना अधिकारी, श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव एवं श्री रवि विजारनियां, जिला सूचना अधिकारी के प्रत्यावेदन बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाते है।

5. अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के कमांक 2 से 6 तक के अधिकारियों की नियुक्ति तिथि 13.6.2001 त्रुटिवश अंकित हो गई थी, जिसे संशोधित कर दिया गया है।

6. अतः सम्यक् विचारोपरान्त प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए विभाग में कार्यरत सूचना अधिकारी/जिला सूचना अधिकारियों की अंतिम पारस्परिक ज्येष्ठता निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

क.स	नाम	पदनाम	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि
1	श्रीमती हंसी ब्रजवासी	सूचना अधिकारी	9.4.1956	1.4.1991
2	श्री योगेश मिश्रा	जिला सूचना अधिकारी	1.1.1961	7.6.2001
3	श्री भगवान प्रसाद धिल्डियाल	सूचना अधिकारी	15.7.1956	7.6.2001
4	श्री हर्ष मोहन धिल्डियाल	जिला सूचना अधिकारी	2.12.1953	7.6.2001
5	श्री धीरेश चन्द्र पाण्डेय	जिला सूचना अधिकारी	3.4.1953	7.6.2001
6	श्री दीपक कुमार जोशी	जिला सूचना अधिकारी	20.1.1954	7.6.2001
7	श्री पदमादत्त पाण्डेय	जिला सूचना अधिकारी	13.1.1955	25.9.2001
8	श्री मलकेश्वर प्रसाद कैलखुरी	सूचना अधिकारी	3.9.1956	25.9.2001
9	श्री नितिन उपाध्याय	सूचना अधिकारी	23.7.1978	30.7.2005
10	श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव	जिला सूचना अधिकारी	2.2.1971	30.7.2005
11	श्री रवि विजारनियां	जिला सूचना अधिकारी	21.5.1976	30.7.2005

30.8.2011

(विनोद शर्मा)
महानिदेशक

संख्या-818 (1)/सू0एवं लो0स0वि0(प्रशा.)10/2002,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन को।
2. संबंधित अधिकारियों को।
3. संबंधित अधिकारियों की निजी पत्रावली हेतु
4. क्षेत्र प्रचार प्रभाग को।

O/C

30.8.2011

(विनोद शर्मा)
महानिदेशक